

अध्याय – I

प्रारम्भिक

1.01 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन), साधारण (संशोधित) नियम 1976 है,
- (2) ये राजपत्र के प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे,

1.02 परिभाषायें: इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (1) “अधिनियम” से रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) अभिप्रेत है,
- (2) “पर्याप्त दूरी” का अभिप्राय, संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी है,
- (3) “प्रवेश प्रकाशन” (एप्रोच लाइटिंग) का अभिप्राय, गाड़ी पहुंचने पर स्वतः नियंत्रित सिगनलों के प्रकाशन की व्यवस्था से है,
- (4) “अनुमोदित विशेष अनुदेश” का अभिप्राय रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा अनुमोदित या निर्धारित विशेष अनुदेश है,
- (5) “प्राधिकृत अधिकारी” का अभिप्राय रेल प्रशासन के साधारण या विशेष आदेश द्वारा, नाम से अथवा पद के आधार पर, अनुदेश देने या कोई अन्य कार्य करने के लिए सशक्त किये गये किसी व्यक्ति से है।
स0नि0- 1.02(5)(i) इस नियम के अन्तर्गत महाप्रबन्धक के विशेष आदेशानुसार प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक को सहायक नियम जारी करने तथा उसमें संशोधन करने अथवा अनुदेश जारी करने अथवा अन्य कोई कार्य करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है।
- (6) “प्रस्थान प्राधिकार” का अभिप्राय संचालन पद्धति के अधीन किसी गाड़ी के लोको पायलट को अपनी गाड़ी के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए दिये गये प्राधिकार से है,
- (7) “धुरी काउण्टर” (एक्सल काउण्टर) का अभिप्राय रेल पथ पर दो स्थानों पर लगाये गये विद्युत यंत्र से है जो उनके बीच आने तथा जाने वाली धुरियों की गणना द्वारा यह सिद्ध करती है कि उन दोनों स्थानों के बीच रेल पथ खाली है या भरा हुआ है,
- (8) “ब्लॉक बैक” का अभिप्राय दोहरी (डबल) लाइन पर पिछले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को और इकहरी (सिंगल) लाइन पर अगले और पिछले दोनों निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों को किसी ब्लॉक स्टेशन से यह संदेश भेजने से है कि ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध है या अवरुद्ध होने वाला है,
- (9) “ब्लॉक फारवर्ड” का अभिप्राय दोहरी (डबल) लाइन पर किसी ब्लॉक स्टेशन से अगले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को यह सूचना भेजने से है कि आगे का ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध है या अवरुद्ध होने वाला है,
- (10) “ब्लॉक सेक्शन” का अभिप्राय दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच परिचालित लाइन के उस खण्ड से है जिस पर ब्लॉक सेक्शन की दूसरी ओर के ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लीयर मिले बिना कोई परिचालित गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती है,
- (11) “केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण” (सेन्ट्रलाइज्ड ट्रैफिक कन्ट्रोल) का अभिप्राय उस प्रणाली से है जो उस मार्ग पर जिस पर यह प्रणाली लागू है गाड़ियों का संचलन किसी दूरवर्ती निर्दिष्ट स्थान से निर्धारित स्थावर सिगनलों द्वारा शासित होता है,
- (12) ‘केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण परिचालक’ (सेन्ट्रलाइज्ड ट्रैफिक कन्ट्रोल आपरेटर) का अभिप्राय ड्यूटी पर तैनात उस व्यक्ति से है, जो केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण में गाड़ियों

CHAPTER I PRELIMINARY

1.01. Short title and commencement:—

- (1) These rules may be called the Indian Railways (Open lines) General (Amendment) Rules 1976.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

1.02. Definitions:- In These rules, unless the context otherwise requires -

- (1) **“Act”** means the Railways Act., 1989 (24 of 1989);
- (2) **“Adequate Distance”** means the distance sufficient to ensure safety;
- (3) **“Approach Lighting”** means an arrangement in which the lighting of signals is controlled automatically by the approach of train;
- (4) **“Approved Special Instruction”** means special instructions approved of or prescribed by the Commissioner of Railway Safety;
- (5) **“Authorised Officer”** means the person who is duly empowered by general or special order of the Railway Administration, either by name or by virtue of his office, to issue instructions or to do any other thing;
SR 1.02(5)(i) The Principal Chief Operations Manager is empowered by name as Authorised Officer under this rule by a special order of the General Manager to issue Subsidiary Rules and amendment thereto or to issue instructions or to do any other thing.
- (6) **“Authority To Proceed”** means the authority given to the Loco Pilot of the train, under the system of working, to enter the block section with his train;
- (7) **“Axle Counter”** means an electrical device which, when provided at two given points on the track, proves by counting axles in and counting axles out, whether the section of the track between the said two points is clear or occupied;
- (8) **“Block Back”** means to dispatch a message from a block station intimating to the block station immediately in rear on a double line, or to the next block station on either side on a single line, that the block section is obstructed or is to be obstructed;
- (9) **“Block Forward”** means to dispatch a message from a block station on a double line intimating to the block station immediately in advance the fact that the block section in advance is obstructed or is to be obstructed;
- (10) **“Block Section”** means that portion of the running line between two block stations on to which no running train may enter until Line Clear has been received from the block station at the other end of the block section;
- (11) **“Centralised Traffic Control”** means a system by which the working of trains over a route, to which the system applies, is governed by fixed signals remotely controlled from a designated place;
- (12) **“Centralised Traffic Control Operator”** means the person on duty who may for the time being be responsible for the working of trains on the Centralised

- के संचलन के लिए उस समय जिम्मेदार है,
- (13) 'रेल संरक्षा आयुक्त' का अभिप्राय अधिनियम के अधीन किन्हीं कृत्यों के पालन के लिए नियुक्त किया गया रेल संरक्षा आयुक्त है और इसके अन्तर्गत मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त भी है,
- (14) 'सक्षम रेल सेवक' का अभिप्राय उस रेल सेवक से है जो उसे सौंपे गये कर्तव्यों का उत्तरदायित्व उठाने और उनके पालन के लिए निर्धारित योग्यता प्राप्त है,
- (15) 'संयोजक' (कनेक्शन) का अभिप्राय, जब उसका प्रयोग परिचालित लाइन के संदर्भ में किया जाए तो उन कांटे और कैंची (क्रॉसिंग) या अन्य साधनों से है जो परिचालित लाइन को अन्य लाइनों से जोड़ने के लिए या उसे पार करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं,
- (16) "नियंत्रक" (कन्ट्रोलर) का अभिप्राय, ड्यूटी पर उस रेल सेवक से है जो उस समय रेल के संभाषण संचार प्रणाली से सुसज्जित भाग पर यातायात के संचालन के लिए जिम्मेदार है,
- (17) 'दिन' का अभिप्राय सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय है,
- (18) 'यातायात की दिशा' का अभिप्राय :-
 (क) दोहरी (डबल) लाइन पर, उस दिशा से है जिस दिशा में सिगनल लगे हैं,
 (ख) इकहरी (सिंगल) लाइन पर, तत्समय निर्धारित दिशा से है जिस दिशा में, संचलन पद्धति के अधीन, गाड़ियां चलने की अनुमति है,
- (19) "लोको पायलट" का अभिप्राय इंजन लोको पायलट या किसी ऐसे अन्य सक्षम रेल सेवक से है जो उस समय गाड़ी चलाने का भार साधक (इंचार्ज) है,
- (20) "विद्युत संचार यंत्र" का अभिप्राय टेलीफोन या मोर्स तार यंत्र से है,
- (21) "सम्मुख और अनुमुख" कांटे (फेसिंग एण्ड ट्रेलिंग प्वाइंट्स) कांटों पर चलते समय गाड़ी या वाहन की जो दिशा होती है उसी के अनुसार कांटे सम्मुख या अनुमुख कहलाते हैं। यदि कांटों के प्रचालन से इनकी ओर आती हुई गाड़ी अपनी लाइन से सीधे दूसरी लाइन पर भेजी जा सकती है तो वे सम्मुख कांटे कहलाते हैं,
- (22) "स्थावर सिगनल" (फिक्सड सिगनल) का अभिप्राय निर्धारित स्थान पर लगे हुए ऐसे सिगनल से है जो गाड़ी के संचलन पर प्रभाव पड़ने वाली सूचना दे और इसके अन्तर्गत दिन में प्रयोग की जाने वाली सेमाफोर भुजा या चकरी (डिस्क) या स्थावर बत्ती और रात में प्रयोग की जाने वाली स्थावर बत्ती भी है,
- (23) "उल्लंघन चिन्ह" (फाउलिंग मार्क) का अभिप्राय उस चिन्ह से है जहाँ दो लाइनों के एक-दूसरे को पार करने या मिलने के कारण, बीच में निर्धारित मानक आयाम का उल्लंघन होता है,
- (24) "गैंग मैन" का अभिप्राय रेल पथ या उससे सम्बन्धित काम पर नियुक्त रेल सेवक से है,
- (25) "गैंगमेंट" का अभिप्राय रेल पथ या उससे सम्बन्धित काम पर लगाये गये कर्मकारों के गैंग के भारसाधक (इंचार्ज) व्यक्ति से है,
- (26) "फाटक वाला" का अभिप्राय फाटक के प्रचालन के लिए समपार (लेविल क्रॉसिंग) पर नियुक्त सक्षम रेल सेवक से है,
- (27) "मालगाड़ी" का अभिप्राय (मंटेरियल ट्रेन से भिन्न) ऐसी गाड़ी से है जिसका उद्देश्य केवल पशु अथवा माल ढोना है,
- (28) "गार्ड" का अभिप्राय गाड़ी के भारसाधक (इंचार्ज) रेल सेवक से है और उसके अन्तर्गत ब्रेक्समैन अथवा कोई ऐसा रेल सेवक भी है जो उस समय गार्ड की ड्यूटी कर रहा है,
- (29) "रेलपथ या निर्माण कार्य निरीक्षक" का अभिप्राय रेलपथ, कांटे और सिगनल, पुल या इनसे सम्बन्धित निर्माण कार्य के निर्माण अथवा अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार किसी निरीक्षण या सहायक निरीक्षक से है,

- Traffic Control;
- (13) **“Commissioner of Railway Safety”** means ‘Commissioner of Railway Safety’ appointed to exercise any functions under the Act, and includes the Chief Commissioner of Railway Safety;
- (14) **“Competent Railway Servant”** means a railway servant duly qualified to undertake and perform the duties entrusted to him;
- (15) **“Connections”** when used with reference to a running line, means the points and crossings or other appliances used to connect such line with other lines or to cross it;
- (16) **“Controller”** means a railway servant on duty who may for the time being be responsible for regulating the working of traffic on a section of a railway provided with the system of speech communication;
- (17) **“Day”** means from sunrise to sunset;
- (18) **“Direction of Traffic”** means -
- (a) on a double line, the direction for which the line is signalled;
 - (b) on a single line, the direction for the time being established, under the system of working, to allow trains to move in that direction;
- (19) **“Loco Pilot”** means the engine Loco Pilot or any other competent railway servant for the time being in charge of driving a train;
- (20) **“Electrical Communication Instrument”** means either a telephone or a Morse telegraph instrument;
- (21) **“Facing And Trailing Points”**: points are facing or trailing in accordance with the direction a train or vehicle moves over them. Points are said to be facing points when by their operation a train approaching them can be directly diverted from the line upon which it is running;
- (22) **“Fixed Signal”** means a signal of fixed location indicating a condition affecting the movement of a train and includes a semaphore arm or disc or fixed light for use by day and fixed light for use by night;
- (23) **“Fouling Mark”** means the mark at which the infringement of fixed Standard Dimensions occurs, where two lines cross or join one another;
- (24) **“Gangman”** means a railway servant employed on permanent way or work connected therewith;
- (25) **“Gangmate”** means the person in charge of a gang of workmen employed on permanent way or work connected therewith;
- (26) **“Gateman”** means a competent railway servant posted at a level crossing for working the gates;
- (27) **“Goods Train”** means a train (other than a material train) intended solely or mainly for the carriage of animals or goods;
- (28) **“Guard”** means the railway servant in charge of a train and includes a Brakesman or any other railway servant who may for the time being be performing the duties of a Guard;
- (29) **“Inspector of Way or Works”** means any Inspector or Assistant Inspector responsible for the construction or maintenance of permanent way, point and signals, bridges or other works connected therewith;

- (30) “अन्तर्पाशन” (इंटरलॉकिंग) का अभिप्राय पैनल या लीवर फ्रेम से प्रचालित सिगनलों, कांटों और अन्य उपकरणों की ऐसी व्यवस्था से है जो यांत्रिक पार्शिन (लॉकिंग), विद्युत पार्शिन (लॉकिंग) अथवा दोनों के द्वारा परस्पर इस प्रकार सम्बद्ध रहे कि उनका प्रचालन एक समुचित क्रम में होकर संरक्षा सुनिश्चित हो सके,
- (31) “मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट” से अभिप्राय इकहरी लाइन या दोहरी लाइन या बहु लाइन पर ‘सी’ वर्ग का ऐसा स्टेशन अभिप्रेत है जिसका नियंत्रण दूरवर्ती रूप में पिछले ब्लॉक स्टेशन से होता है;
- (32) “मध्यवर्ती ब्लॉक सिगनलिंग” से अभिप्राय इकहरी लाइन या दोहरी लाइन या बहु लाइन पर एक “मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट” द्वारा किसी लम्बे ब्लॉक सेक्शन को दो भागों में बांटकर उन्हें अलग-अलग ब्लॉक सेक्शन बना देने वाली व्यवस्था अभिप्रेत है;
- (33) “पृथक्करण (आइसोलेशन)” का अभिप्राय किसी लाइन को कांटे या अन्य अनुमोदित साधनों द्वारा, अन्य सम्बद्ध लाइन या लाइनों पर अवरोध के संकट से बचाने के लिए पृथक् करने की व्यवस्था से है,
- (34) “अन्तिम रोक सिगनल (लास्ट स्टॉप सिगनल)” का अभिप्राय अगले ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले स्थावर रोक (स्टॉप) सिगनल से है,
- (35) “समपार (लेविल क्रॉसिंग)” का अभिप्राय एक ही धरातल पर सड़क और रेलपथ का एक दूसरे को पार करने वाले स्थान से है,
- (36) “समपार फाटक (लेविल क्रॉसिंग गेट)” का अभिप्राय समपार पर सड़क को बन्द करने वाले किसी भी प्रकार के चल अवरोध से है, जिसके अन्तर्गत जंजीर भी है किन्तु इसके अन्तर्गत पैदल चलने वाले के उपयोग के लिए लगे छोटे दरवाजे(विकेट) या चक्रदार नहीं है,
- (37) “लाइन साफ (लाइन क्लीयर)” का अभिप्राय किसी ब्लॉक स्टेशन द्वारा पिछले से गाड़ी के छूटने और पूर्व कथित स्टेशन तक पहुंचने के लिए दी जाने वाली अनुमति से है, अथवा एक ब्लॉक स्टेशन से गाड़ी के छूटने और अगले ब्लॉक स्टेशन तक पहुंचने के लिए ली जाने वाली अनुमति से है,
- (38) “मैन लाइन” का अभिप्राय गाड़ियों का स्टेशनों पर बिना रुके और स्टेशनों के बीच चलने के लिए साधारणतः प्रयुक्त लाइन से है,
- (39) “मेटेरियल ट्रेन” का अभिप्राय उस विभागीय गाड़ी से है जो केवल या मुख्यतः रेल के उस सामान को ढोने के काम आती है जो स्टेशनों के बीच या स्टेशन की सीमा के भीतर, उठाया या डाला जाता है, अथवा निर्माण कार्यों के निष्पादन में प्रयोग होता है,
- (40) “मिली जुली गाड़ी (मिक्सड ट्रेन) का अभिप्राय यात्री और माल अथवा यात्री, पशु और माल ढोने के काम आने वाली गाड़ी से है,
- (41) “बहु संकेती सिगनल व्यवस्था” का अभिप्राय ऐसी सिगनल व्यवस्था से है जिसमें सिगनल एक समय में तीन या अधिक संकेतों में से किसी एक संकेत को प्रदर्शित करे और जिसमें प्रत्येक सिगनल संकेत का पूर्ववर्ती सिगनल या सिगनलों के संकेत द्वारा पूर्व चेतावनी मिले,
- (42) “रात” का अभिप्राय सूर्यास्त से सूर्योदय तक का समय है,
- (43) “अवरोध” तथा सजातीय पदों के अन्तर्गत, लाइन पर उसका उल्लंघन करने वाली कोई गाड़ी वाहन या कोई अन्य अवरोध या ऐसी कोई स्थिति, जो गाड़ियों के लिए संकट जनक है,
- (44) “ऊपरी उपस्कर” का अभिप्राय रेलपथ के ऊपर लगे हुए विद्युत संवाहक तार (इलेक्ट्रिक कन्डक्टर्स) तथा उनसे सम्बन्धित फिटिंग, विद्युत रोधक (इंसुलेटर) और अन्य संयोजकों से है, जिनके सहारे वे विद्युत कर्षण के लिए लटकाये जाते हैं तथा अपनी जगह टिके रहते हैं,
- (45) “यात्री गाड़ी” का अभिप्राय केवल या मुख्यतः यात्रियों और अन्य कोचिंग यातायात के वहन के काम में लाई जाने वाली गाड़ी से है, तथा इसके अन्तर्गत सैनिक गाड़ी भी है,

-
- (30) **“Interlocking”** means an arrangement of signals, points and other appliances, operated from a panel or lever frame, so interconnected by mechanical locking or electrical locking or both that their operation must take place in proper sequence to ensure safety;
- (31) **Intermediate Block Post** means a class “C” station on a single line or double line or multiple line remotely controlled from the block station in rear;
- (32) **“Intermediate Block Signalling”** means an arrangement of signalling on single line or double line or multiple line in which a long block section is split into two portions each constituting a separate block section by providing an “Intermediate Block Post”;
- (33) **“Isolation”** means an arrangement, secured by the setting of points or other approved means, to protect the line so isolated from the danger of obstruction from other connected line or lines;
- (34) **“Last Stop Signal”** means the fixed Stop signal of a station controlling the entry of trains into the next block section;
- (35) **“Level Crossing”** means the intersection of road with railway track at the same level;
- (36) **“Level Crossing Gate”** means any form of movable barrier, including a chain, capable of being closed across the road at the level crossing, but does not include a wicket or a turnstile for the use of pedestrians;
- (37) **“Line Clear”** means the permission given from a block station to a block station in rear for a train to leave the latter and approach the former; or the permission obtained by a block station from a block station in advance for a train to leave the former and proceed towards the latter;
- (38) **“Main Line”** means the line ordinarily used for running trains through and between stations;
- (39) **“Material Train”** means a departmental train intended solely or mainly for carriage of railway material when picked up or put down or for execution of works, either between stations or within station limits;
- (40) **“Mixed Train”** means a train intended for the carriage of passengers and goods, or of passengers, animals and goods;
- (41) **“Multiple-Aspect Signalling”** means a signalling arrangement in which signals display at any one time any one of the three or more aspects and in which the aspect of every signal is pre-warned by the aspect of the previous signal or signals;
- (42) **“Night”** means from sunset to sunrise;
- (43) **“Obstruction”** and its cognate expressions includes a train, vehicle or obstacle on or fouling a line, or a stop signal at “on” or any condition which is dangerous to trains;
- (44) **“Overhead Equipment”** means the electrical conductors over the tracks together with their associated fittings, insulators and other attachments, by means of which they are suspended and registered in position for the purpose of electric traction;
- (45) **“Passenger Train”** means a train intended solely or mainly for the carriage of passengers and other coaching traffic, and includes a troop train;

- (46) “कांटा और ट्रेप संकेतक” सिगनल नहीं है, किन्तु ये कांटों पर युक्त (फिट) तथा उनके साथ संचालित होकर रात या दिन में कांटों की दशा बताने वाले उपकरण हैं,
- (47) “परिचालित लाइन (रनिंग लाइन)” का अभिप्राय एक या अधिक सिगनलों द्वारा शासित लाइनों से है, और इसके अन्तर्गत वे संयोजक यदि कोई भी है, जिनका उपयोग गाड़ी द्वारा स्टेशन में प्रवेश करते समय या स्टेशन से प्रस्थान करते समय या किसी स्टेशन को बिना रूके पार करते समय या स्टेशनों के बीच जाते समय किया जाता है,
- (48) “परिचालित गाड़ी (रनिंग ट्रेन)” का अभिप्राय ऐसी गाड़ी से है जो प्रस्थान प्राधिकार के अनुसार प्रस्थान कर चुकी है किन्तु उसने अपनी यात्रा पूरी नहीं की है,
- (49) “शंटिंग” का अभिप्राय उस संचालन से है जो इंजन सहित या उसके बिना किसी वाहन या वाहनों का अथवा किसी इंजन का या किसी अन्य स्वनोदित (सेल्फ प्रोपेल्ड) वाहन का गाड़ी के साथ जोड़ने, अलग करने या स्थान बदलने या किसी और प्रयोजन के लिए किया जाए,
- (50) “विशेष अनुदेश” का अभिप्राय विशेष मामलों या परिस्थितियों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले अनुदेशों से है,
- (51) “स्टेशन” का अभिप्राय रेल लाइन पर उस स्थान से है जहाँ यातायात का प्रबन्ध किया जाता है या जहाँ संचालन पद्धति के अधीन प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है,
- (52) “स्टेशन सीमा” का अभिप्राय रेल के ऐसे किसी भाग से है जो किसी स्टेशन मास्टर के नियंत्रण में है, जो स्टेशन के बाह्यतम (आउटर मोस्ट) सिगनलों के बीच स्थित है या जो विशेष अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है,

स. नि. 1.02 (52) (i) दोहरी लाइन पर स्थित स्टेशनों पर ‘स्टेशन सीमा’ से तात्पर्य रेल पथ के उस भाग से है जो प्रत्येक लाइन पर अलग-अलग स्टेशन के बाह्यतम सिगनलों के बीच स्थित है।

(ii) ‘डी’ क्लास या ‘प्लेग स्टेशन’ पर स्टेशन सीमा के अन्तर्गत स्टेशन भवन के दोनों तरफ 400 मीटर के अन्दर आने वाली सभी लाइनें व परिसर हैं।

- (53) “स्टेशन मास्टर” का अभिप्राय ड्यूटी पर तैनात ऐसे व्यक्ति से है जो उस समय स्टेशन सीमा में यातायात के संचालन के लिए जिम्मेदार है। इसके अन्तर्गत ऐसे अन्य व्यक्ति भी हैं जिनके स्वतंत्र भारसाधन (चार्ज) में उस समय, सिगनलों का प्रचालन है तथा जिन पर लागू संचालन पद्धति के अधीन, गाड़ियों के संचालन की जिम्मेदारी है,
- (54) “स्टेशन सेक्शन” का अभिप्राय स्टेशन सीमाओं के ऐसे सेक्शन से है जो –
- (1) द्वि-संकेती सिगनल वाले ‘बी’ क्लास स्टेशन पर –
 - (क) दोहरी (डबल) लाइन व्यवस्था में, स्टेशन की दोनों दिशाओं में निकट (होम) सिगनल और अन्तिम रोक सिगनल (लास्ट स्टॉप सिगनल) के बीच का है; अथवा
 - (ख) इकहरी (सिंगल) लाइन व्यवस्था में –
 - (i) शंटिंग लिमिट बोर्ड या अग्रिम प्रस्थान (एडवांस्ड स्टार्टर) सिगनलों, यदि कोई है, के बीच का है, अथवा
 - (ii) यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड या अग्रिम प्रस्थान (एडवांस्ड स्टार्टर) सिगनल नहीं हैं तो निकट (होम) सिगनलों के बीच का है, अथवा
 - (iii) यदि निकट (होम) सिगनल या शंटिंग लिमिट बोर्ड या अग्रिम प्रस्थान (एडवांस्ड स्टार्टर) सिगनल नहीं है तो बाह्यतम सम्मुख (फेसिंग) कांटों के बीच का है,
 - (2) हस्तचालित बहु-संकेती सिगनल या संशोधित लोअर क्वार्टर सिगनल वाले ‘बी’

- (46) **“Point And Trap Indicators”** are not signals, but are appliances fitted to and working with points to indicate by day or by night the position in which the points are set;
- (47) **“Running Line”** means the line governed by one or more signals and includes connections, if any, used by a train when entering or leaving a station or when passing through a station or between stations;
- (48) **“Running Train”** means a train which has started under an authority to proceed and has not completed its journey;
- (49) **“Shunting”** means the movement of a vehicle or vehicles with or without an engine or of any engine or any other self-propelled vehicle, for the purpose of attaching, detaching or transfer or for any other purpose;
- (50) **“Special Instructions”** means instructions issued from time to time by the authorised officer in respect to particular cases or special circumstances;
- (51) **“Station”** means any place on a line of railway at which traffic is dealt with, or at which an authority to proceed is given under the system of working;
- (52) **“Station Limits”** means the portion of a railway which is under the control of a Station Master and is situated between the outermost signals of the station or as may be specified by special instructions;
- SR 1.02 (52)(i) In case of double line stations, ‘Station Limits’ should be taken to mean that portion of the track which lies between the outermost signals of the station on each line separately.
- (ii) In the case of class D or flag stations, ‘Station Limits’ should include all lines and premises within a distance of 400 meters on either side of the station building.
- (53) **“Station Master”** means the person on duty who is for the time being responsible for the working of the traffic within station limits, and includes any person who is for the time being in independent charge of the working of any signals and responsible for the working of trains under the system of working in force;
- (54) **“Station Section”** means that section of station limits -
- (1) at a class ‘B’ station provided with two aspect signal, which is included :-
 - (a) on a double line, between the Home signal and the last Stop signal of the station in either direction; or
 - (b) on a single line :-
 - (i) between the shunting limits boards or advanced starter (if any), or
 - (ii) between the Home signals if there are no shunting Limit Boards or Advanced Starters, or
 - (iii) between the outermost facing points, if there are no Home signals or Shunting Limit Boards or Advanced Starters;
 - (2) at a class ‘B’ station provided with manually operated multiple-aspect

क्लास स्टेशन पर –

(क) दोहरी (डबल) लाइन व्यवस्था में –

- (i) स्टेशन के दोनों ओर, बाह्यतम सम्मुख (फेसिंग) कांटों और अन्तिम रोक (लास्ट स्टाप) सिगनल के बीच का है, अथवा
- (ii) स्टेशन के दोनों ओर यदि ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड है, तो उनके और अन्तिम रोक (लास्ट स्टॉप) सिगनल के बीच का है, अथवा

(ख) इकहरी (सिंगिल) लाइन व्यवस्था में –

- (i) शंटिंग लिमिट बोर्डों या अग्रिम प्रस्थान (एडवांस्ड स्टार्टर) सिगनल, यदि कोई है, के बीच का है, अथवा
- (ii) यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड या अग्रिम प्रस्थान (एडवांस्ड स्टार्टर) सिगनल नहीं है तो बाह्यतम सम्मुख (फेसिंग) कांटों के बीच का है,

- (55) “सहायक नियम” का अभिप्राय उस विशेष अनुदेश से है, जो तत्सम्बन्धी साधारण नियम का सहायक है तथा किसी साधारण नियम से विसंवादी नहीं है,
- (56) “संचालन पद्धति” का अभिप्राय रेल के किसी भाग पर गाड़ियों के संचालन के लिए तत्समय अपनाई गई पद्धति से है,
- (57) “ट्रेक सर्किट” का अभिप्राय विद्युत के उस परिपथ (सर्किट) से है जो रेल पथ के किसी भाग पर किसी वाहन की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है तथा रेल पथ की पटरियां परिपथ (सर्किट) का अंश मानी जाती है,
- (58) “गाड़ी” का अभिप्राय वाहनों के साथ या उनके बिना कोई इंजन अथवा ट्रेलर सहित या उसके बिना ऐसा स्वनोदित (सेल्फ प्रोपेल्ड) वाहन से है जिसे रेल पथ से आसानी से नहीं उठाया जा सकता है,

स. नि. 1.02 (58) विभिन्न प्रकार के काम में आने वाले इंजनों के नाम नीचे दिये जाते हैं:—

- (i) **ट्रेन इंजन**:— वह इंजन है जो रेल के किसी भाग पर साधारणया विशेष गाड़ी के चलाने के काम में लाया जाता है
- (ii) **शंटिंग इंजन**:— वह इंजन है जो स्टेशन यार्ड में गाड़ी और वाहनों की शंटिंग और मार्शलिंग के काम में लाया जाता है। इसे “पायलट इंजन” नहीं कहना चाहिए। जब किसी “शंटिंग इंजन” को गाड़ी चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है तब उसे ट्रेन इंजन माना जाता है।
- (iii) **असिस्टिंग इंजन**:— जब कोई इंजन गाड़ी के बहुत अधिक भारी होने के कारण इसे खींच नहीं सकता तो उसकी सहायता के लिए सामने से खींचने या पीछे से ढकेलने के प्रयोग में लाये जाने वाले इंजन को असिस्टिंग इंजन कहते हैं, जब असिस्टिंग इंजन ट्रेन को खड़ी चढाई पर चढ़ने के लिए पीछे से ढकेलने के प्रयोग में लाया जाता है तब उसे बैकिंग इंजन कहते हैं।
- (iv) **लाइट इंजन**:— वह इंजन है जो अकेला ही चलाया जाता है।
- (v) **रिलीफ इंजन**:— वह इंजन है जो किसी इंजन के बदले उसके बिगड़ जाने पर काम करने के लिए भेजा जाता है।
- (vi) **पायलट इंजन**:— वह इंजन है जो किसी स्पेशल या साधारण गाड़ी को पायलट करने के लिए आगे-आगे चलता है।

केवल ऊपर दी हुई शब्दावली ही ट्रेन सम्बन्धी सूचनाओं रिपोर्ट और पत्र व्यवहार के काम में लाई जानी चाहिए।

- (59) “गाड़ी परीक्षक (ट्रेन एक्जामिनेर)” का अभिप्राय ऐसे रेल सेवक से है जो गाड़ियों की परीक्षा करने और यह प्रमाणित करने के लिए योग्यता प्राप्त है कि वे निरापद परिचालन के उपयुक्त हैं और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य रेल सेवक भी है, जो उस समय गाड़ी परीक्षक की ड्यूटी कर रहा है,
- (60) “द्वि-संकेती सिगनल व्यवस्था” का अभिप्राय उस सिगनल व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक सिगनल किसी एक समय में, दो संकेतों में से कोई एक संकेत प्रदर्शित करता है।

or modified lower quadrant signals, which is included :-

- (a) on a double line :-
 - (i) between the outermost facing points and the last Stop signal of the Station in either direction or
 - (ii) between the Block Section Limit Board, where provided and the last Stop signal of the station in either direction; or
 - (b) on a single line :-
 - (i) between the Shunting Limit Boards or Advanced Starters (if any), or
 - (ii) between the outermost facing points, if there are no Shunting Limit Boards or Advanced Starters;
- (55) **“Subsidiary Rule”** means a special instruction which is subservient to the General Rule to which it relates and shall not be at variance with any General Rule;
- (56) **“System of Working”** means the system adopted for the time being for the working of trains on any portion of a railway;
- (57) **“Track Circuit”** means an electrical circuit provided to detect the presence of a vehicle on a portion of track, the rails of the track forming part of the circuit;
- (58) **“Train”** means an engine with or without vehicles attached, or any self-propelled vehicle with or without a trailer, which cannot be readily lifted off the track;

SR 1.02 (58) The following are the names given to different kinds of working engines:-

- (i) **Train engine**:- is an engine which works a train, ordinary or special over some section of a Railway.
- (ii) **Shunting engine**:- is an engine which is employed in shunting and marshalling trains and vehicles in station yard. This engine must not be called a “Pilot engine”. If a shunting engine is taken away to run a train. It then becomes a train engine.
- (iii) **Assisting engine**:- is an engine which, because of a train being too heavy to be hauled by one engine, is used to assist the Train engine either by pulling in front or pushing behind. When an Assisting engine pushes a train from the rear up a heavy grade, it is termed as a Banking engine.
- (iv) **Light engine**:- is an engine running by itself.
- (v) **Relief engine**:- is an engine sent to relieve another engine which has broken down.
- (vi) **Pilot engine**:- is an engine which runs by itself in advance of and to “pilot” a special or ordinary train.

The above terms and no other must be used in all train messages, advices reports and correspondence.

- (59) **“Train Examiner”** means a railway servant duly qualified to examine trains and certify their fitness for the safe running and includes any other railway servant who may for the time being be performing the duties of a Train Examiner;
- (60) **“Two-Aspect Signalling”** means a signalling arrangement in which each signal displays at any one time either of the two aspects.

1.03 स्टेशन वर्गीकरण –

- (1) इन नियमों के प्रयोजन के लिए स्टेशन दो वर्गों में विभाजित किये जायेंगे – ब्लॉक स्टेशन और ब्लॉक रहित स्टेशन (नान ब्लॉक स्टेशन)।
- (2) ब्लॉक स्टेशन वे स्टेशन हैं जहाँ लोको पायलट को अपनी गाड़ी के साथ ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए संचालन पद्धति के अनुसार प्रस्थान प्राधिकार लेना आवश्यक है, और पूर्ण ब्लॉक पद्धति में इन स्टेशनों की तीन श्रेणियां हैं अर्थात् –

‘ए’ क्लास स्टेशन – जहाँ गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक लाइन, जिस पर गाड़ी को जाना है, निकट (होम) सिगनल से आगे कम से कम 400 मीटर तक या स्टार्टर सिगनल तक साफ नहीं है,

‘बी’ क्लास स्टेशन – जहाँ स्टेशन सेक्शन के अन्दर गाड़ी के प्रवेश के लिए लाइन साफ होने से पहले ही गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर दिया जा सकता है, तथा

‘सी’ क्लास स्टेशन – वे ब्लॉक हट है जहाँ गाड़ी के लिए आगमन अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि ठीक पहले जाने वाली पूरी गाड़ी निकट (होम) सिगनल से कम से कम 400 मीटर आगे नहीं चली गई है और वह चलती ही जा रही है। इनके अन्तर्गत मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट भी है।

स0नि0-1.03 (2) (i) कोई स्टेशन जहाँ पूर्ण ब्लाक पद्धति के अन्तर्गत कार्य नहीं हो सकता है, उसे स्पेशल क्लास स्टेशन कहते हैं।

- (3) गैर ब्लॉक (नान ब्लॉक) स्टेशन या ‘डी’ क्लास स्टेशन गाड़ियों के रूकने के ऐसे स्थान है जो दो क्रमागत ब्लॉक स्टेशनों के बीच स्थित है और किसी ब्लॉक सेक्शन की सीमा नहीं बनते।

स0नि0 103 (3)(i) ‘डी’ क्लास स्टेशन दो प्रकार के हैं –

(क) जिन स्टेशनों पर साइडिंग होती है उन्हें “डी.के.” स्टेशन कहते हैं।

(ख) जिन स्टेशनों पर साइडिंग नहीं होती है उन्हें “पलैग” या “हाल्ट” स्टेशन कहते हैं।



1.03 Classification of stations :-

- (1) Stations shall, for the purpose of these rules, be divided into two categories - block stations and non-block stations.
- (2) Block stations are those at which the Loco Pilot must obtain an authority to proceed under the system of working to enter the block section with his train; and under the Absolute Block System consist of three classes -

Class 'A' stations - where Line Clear may not be given for a train unless the line on which it is intended to receive the train is clear for at least 400 meters beyond the Home signal, or upto the Starter;

Class 'B' stations - where Line Clear may be given for a train before the line has been cleared for the reception of the train within the station section; and

Class 'C' stations - block huts, where line clear may not be given for a train, unless the whole of the last preceding train has passed complete at least 400 meters beyond the Home signal, and is continuing its journey. This shall include an Intermediate Block Post.

SR 1.03 (2)(i) Any station which cannot be worked exclusively on Absolute Block System, is termed as 'Special Class Station'.

- (3) Non-block stations or Class 'D' stations are stopping places which are situated between two consecutive block stations, and do not form the boundary of any block section.

SR 1.03 (3)(i) Class D stations are of two types:-

- (a) Those of which there is a siding are termed as 'DK' stations.
- (b) Those at which there is no siding are 'Flag' or 'Halt' station.

